भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 241
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

समुद्री तटबंध निर्माण और तटीय संरक्षण कार्य

†241. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान केरल में समुद्री तटबंध निर्माण और तटीय संरक्षण कार्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या सरकार ने अलप्पुझा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जैसे प्रभावित जिलों में तटीय कटाव को रोकने और आजीविका की रक्षा करने में समुद्री तटबंध परियोजनाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा की है;

(ग) क्या केरल में कृत्रिम चट्टानों और मैंग्रोव पुनर्जनन जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों सहित दीर्घकालिक तटीय संरक्षण उपायों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): आपदा प्रबंधन की, तटीय सुरक्षा सहित, प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार अपने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बाढ़ प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें तटीय सुरक्षा योजनाओं के लिए सहायता भी शामिल है।

केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और अन्य केंद्र सरकार के संस्थानों (जैसे NIO, NIOT, NCCR, CWPRS आदि) के सहयोग से अप्रैल-मई 2024 के महीने में तटीय क्षेत्र प्रबंधन विषय पर

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 241, दिनांक 22.07.2025

संबंधित राज्यों के साथ त्रैमासिक संवाद (QD) आयोजित किया। इन सत्रों का उद्देश्य मौजूदा तटीय चुनौतियों का आकलन करना और तटीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक, स्थायी रणनीतियों की खोज करना था। इस QD के परिणामस्वरूप, सीडब्ल्यूसी ने सितंबर 2024 में "तटीय क्षेत्र प्रबंधन पर स्थिति रिपोर्ट - एक भारतीय परिप्रेक्ष्य, क्षेत्रीय मुद्दे और उपचारात्मक उपाय" शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। पिछले 10 वर्षों में केरल द्वारा किए गए हस्तक्षेपों सहित तटीय हस्तक्षेपों की एक विस्तृत सूची इस प्रकाशन में है जो सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट https://cwc.gov.in/en/publications?title=status+report पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): कटाव के जोखिम को कम करने के लिए, पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए एनडीएमएफ से 1500 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने दिनांक 20.06.2024 को एनडीएमएफ के अंतर्गत तटीय और नदी कटाव के लिए धनराशि के अनुमोदन और जारी करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। ये दिशानिर्देश गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को केरल सरकार से 'एनडीएमएफ के अंतर्गत तटीय एवं नदी कटाव शमन परियोजना' शीर्षक से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई है। डीपीआर में केरल तटरेखा के साथ गंभीर तटीय कटाव की समस्या के समाधान हेतु कई पहलों की रूपरेखा दी गई है। इसमें राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत अलप्पुझा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में दीर्घकालिक तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक उपायों और प्रकृति-आधारित समाधानों—जैसे कृत्रिम चट्टानें और मैंग्रोव पुनर्जनन—को शामिल किया गया है।

एनडीएमए ने तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन किया है और परियोजना को अद्यतन करने तथा पुनः प्रस्तुत करने के लिए डीपीआर में संशोधन की सिफारिश की है।

***